



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिषिष्ठ

भाग—4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 06 मई, 2020

बैशाख 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग—2

संख्या 424 / ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0अधि०-5-2008-आदेश(109)-2020  
लखनऊ, 06 मई, 2020

### अधिसूचना

#### प0आ०-111

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में तारीख 07 मई, 2020 से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

### संशोधन

उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 3 एवं 4 (ग) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	नि० या आ०	26.80% या रु० 18.74 प्रति लीटर जो भी अधिक हो
4 (ग)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्लिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन एक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या-4 (क) एवं 4 (ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि० या० आ०	17.48% या रु० 10.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 424/XI-2-20-9(01)-2008-U.P.Act-5-2008-Order(109)-2020, dated May 06, 2020 :

No. 424/XI-2-20-9(01)-2008-U.P.Act-5-2008-Order(109)-2020

*Dated Lucknow, May 06, 2020*

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to make, with effect from may 7, 2020, the following amendment in Schedule-IV to the said Act.

#### AMENDMENT

In the said Schedule, for entries at serial numbers 3 and 4 (c), the following entries shall, columnwise be substituted, namely:-

S. No.	Name and description of goods 1 2	Point of Tax 3	Rate of Tax 4
1			
3	Petrol	M or I	26.80% Or Rs. 18.74 Per litre whichever is greater
4 (c)	Diesel oil as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 in cases other than those described in serial nos. 4 (a) and 4 (b)	M or I	17.48% Or Rs. 10.41 Per litre whichever is greater

By order,

ALOK SINHA,

*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०य०पी०-ए०पी० 61 राजभास्त्र-2020-(118)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०य०पी०-ए०पी० 11 सा० राज्य कर-2020-(119)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।